

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
गणतंत्रदिवस के शुभ अवसर पर मेरठ विकास
प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भवनों को
आकर्षक मूल्य पर प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में
विभिन्न प्रकार के भवन विलॉज एवं फ्लैट्स के लाटरी
पध्दति से आवंटन हेतु पंजीकरण दिनांक 27.01.2020 से
20.02.2020 तक खोला गया है।

इच्छुक आवेदक मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर
स्थित इलाहाबाद बैंक से रू० 100 के भुगतान पर
आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप
से भरे हुए आवेदन पत्र इसी बैंक से उक्त अवधि में
जमा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी
एवं भर्नों का विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट
www.dameerut.in पर उपलब्ध है।

सचिव

उपाध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: /संसचिव-कार्या0/20 दिनांक

1231

24.1.2020

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इलाहाबाद बैंक,
मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर,
मेरठ।

महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त विभिन्न श्रेणी के आवासीय भवनों/फ्लैट्स का पंजीकरण उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 23.01.2020 के क्रम में दिनांक 20.01.2020 से 20.02.2020 तक की अवधि हेतु खोला गया है जिनका विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जा चुका है।

कृपया उपर्युक्त आवासीय योजना भवनों/फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार विवरण पुस्तिकायें अपने व्यय पर तैयार कराकर रुपये 100/-के भुगतान पर इच्छुक आवेदकों को जारी करते रहे तथा आवेदकों के पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करते रहे एवं तदनुसार विवरण पुस्तिकायें अपनी अन्य अधिकृत शाखाओं को भिजवा दें। कृपया अधिकृत शाखाओं को उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र जारी करने व जमा करने हेतु निर्देशित कर दें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

प्रतिलिपि

- 1- उपाध्यक्ष/सचिव महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- वित्त नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 3- श्री शरद कुमार, सहायक प्रोग्रामर को प्राधिकरण की विवरण पुस्तिका, विज्ञापन तथा रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन सहित विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

श्री शरद
Shard
25/1/20

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

आवासीय योजनाओं में

“जहाँ है, जैसा है”

के

आधार पर पूर्व में निर्मित उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व दुर्बल आय वर्ग श्रेणी

के

भवन, विलॉज, फ्लैट्स आकर्षक मूल्य पर

प्राप्त करने

हेतु

नियम एवं शर्तों की

विवरण पुस्तिका

पंजीकरण अवधि : दिनांक 27-01-2020 से 20-02-2020 तक
(~~20-11-2019~~ से ~~20-12-2019~~ तक)

विवरण पुस्तिका मूल्य : रुपये 100/-

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर पूर्व में निर्मित उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैट्स प्राप्त करने की नियम एवं शर्तों का विवरण-

1. योजना का नाम-

योजनाओं के नाम रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

2. योजना का कोड--

योजना के कोड रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

3. विशेष आकर्षण-

3.10 क-सड़क, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत एवम् जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त।

ख-सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण से परिपूर्ण।

3.20 अत्यन्त सरलीकरण आवंटन प्रक्रिया।

3.30 योजना का लाभ दिनांक 20-11-2019 से 20-12-2019 तक।

4. ग्राह्यता (पात्रता)-

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक वयस्क हो अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के नाम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिए। यदि सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् आवेदक के पक्ष में पहले उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति पायी जाती है तो आवेदक का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

4.40 मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों ने पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा। यदि भविष्य में किसी आवेदक को एक से अधिक सम्पत्ति का आवंटन हो जाता है तो आवेदन को स्वेच्छा से किसी एक आवण्टित सम्पत्ति को छोड़कर शेष को सरेण्डर करना होगा।

4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजनाओं में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवण्टित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

- 4.60 आवेदन प्रस्तुत करते समय दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय 3,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाए जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4.70 आवेदन प्रस्तुत करते समय अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदक की वार्षिक आय 3,01,000/- से कम तथा अधिकतम 6,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाए जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 4.70 दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आय-सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

5. आवेदन कैसे करें-

- 5.10 आवेदन-पत्र केवल निर्धारित प्रारूप-पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रुपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भवन/पलैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को भवन/पलैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पे-आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- 5.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित यथा विज्ञापित निर्धारित उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- 5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।

(पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है।)

आवेदन पत्र निम्नलिखित बैंक से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके, इन्हीं बैंकों में निर्धारित तिथि तक जमा किये जा सकते हैं:-

इलाहाबाद बैंक, मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ।

6. आवंटन प्रक्रिया-

- 6.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष भैजुअली प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भवन/पलैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन/पलैट विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

- 6.20 आवेदक के पक्ष में जिस भवन, विलॉज, प्लैट का आवंटन होगा, उस भवन, विलॉज, प्लैट की वास्तविक कीमत के सापेक्ष जमा पंजीकरण धनराशि का समायोजन किया जायेगा। प्रत्येक भवन, विलॉज, प्लैट का मूल्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 6.30 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।
- 6.40 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी सभस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6.50 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड/लीज टाइटल के साथ आवंटित भवन, विलॉज, प्लैट का "विक्रय विलेख"/"प्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 6.60 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6.70 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।
- 6.80 आवंटी को भवन, विलॉज, प्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा भवन, विलॉज, प्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 6.90 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण भवन, विलॉज, प्लैट देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित भवन, विलॉज, प्लैट नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. आरक्षण कोटा-			
शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-			
क्र०सं.	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद रवतन्त्रता संग्राम सेनानी	05	08 07
5.	सारकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर	05	

	चुके हो रक्षा कर्मी सरकारी कर्मी		05 06
6.	उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी उ०प्र० नगर निगम कर्मचारी उ०प्र० जल संस्थान कर्मचारी उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	02	09 11 12 13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल व उनके आश्रित	03	14

- 7.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत होरिजेन्टल विकलांग श्रेणी के भवन/फ्लैट के लाटरी ड्रॉ में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित (Visually Impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन/फ्लैट आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।
- 7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वे कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।
- 7.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8 भुगतान प्रक्रिया—

शासन द्वारा जारी सं० 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् भवन, विलॉज के आवंटियों को सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि तथा फ्लैट्स के आवंटियों को फ्लैट्स में निहित भूमि मूल्य का नियमानुसार देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि कीमत में शामिल करके किस्तों में ली जायेगी।

- 8.10 उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैट्स की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 12 समान तिमाही किस्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय

होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 8.20 मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन, प्लैट्स की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 14 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8.30 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के प्लैट की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 13 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8.40 पूर्व में निर्मित भवनों/प्लैट्स को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है। तालिका में उल्लिखित भवन/प्लैट अद्धनिर्मित है, जिनमें जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी भवन/प्लैट में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा। किन्तु पंजीकरण हेतु प्रकाशित विवरण तालिका में पंजीकरण हेतु मानक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि का उल्लेख किया गया है जो कमी-बेशी के आधार पर भवन/प्लैट के वास्तविक मूल्य में समायोजित किया जायेगा।
- 8.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
- 8.60 यदि आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर आवंटी द्वारा भवन/प्लैट की सम्पूर्ण कीमत अदा कर दी जाती है तो कीमत पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट देय होगी।

9. पैन्ल ब्याज—

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो विलम्ब अवधि के लिये दुर्बल आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 13 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग व मिनी मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 14 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग उच्च श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। भवन/प्लैट की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम 2 किश्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कब्जा—

पूर्व में निर्मित भवनों, विलॉज, प्लैट्स को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है जिनके आवंटन पश्चात् आवंटी को प्राथमिक स्टेज पर भवन, विलॉज, प्लैट्स की कीमत का न्यूनतम 40 प्रतिशत धनराशि एवं नियमानुसार पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए तथा यदि आवेदक किश्तों के चलते रहते कब्जा प्राप्त करना चाहे तो सम्पत्ति मूल्य का न्यूनतम 40 प्रतिशत धनराशि व कब्जा प्राप्ति तक की देय किश्तें अद्यतन जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण

द्वारा आवंटित भवन/प्लैट का "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन कराने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

- 10.10 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।
- 10.20 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/ नियमों-उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।
- 10.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर लेगा।
- 10.40 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रुपये 500/- प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।

11 निबन्धन प्रक्रिया-

पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार देय पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दरस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का "विक्रय विलेख" / "प्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई-पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा। यदि भवन/प्लैट का विलेख कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प ड्यूटी को नियमानुसार "विक्रय विलेख" / "प्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" निष्पादन के समय देय स्टाम्प ड्यूटी में समायोजित किया जायेगा।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी-

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:-

(अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि भवन/प्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ भवन/प्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो

गी तिथि पहली होगी तक देय किशतों में से टूटती किशतों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया--

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज, प्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किशतों की दयेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'पूर्व में निर्मित भवन/प्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो भवन/प्लैट के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत भवन/प्लैट की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

14.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना--

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन/प्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झू से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. अन्य सूचनायें/शर्तें--

15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों-उप नियमों का अनुपालन करना होगा।

15.20 प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

15.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए भवन/प्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

15.50 तालिका में उल्लिखित भवनों/प्लैट्स के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित मा०न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

- 15.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।
- 15.80 इस योजना में भवनों/प्लैट्स की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- 15.90 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटनी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पंजीकरण दिनांक 20-11-2019 से 20-12-2019 तक,

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैट्स के
पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

क्र.सं.	योजना का नाम	सैक्टर / पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन / फ्लैट की संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी.)	वर्तमान कीमत	सामान्य वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (10%)	आरक्षित वर्ग के लिये पंजीकरण धनराशि (05%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	पल्लवपुरा फेस-2 (2 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-एल	दुर्बल आय वर्ग	02	23.38	652200	65220	32610
2.	पल्लवपुरा फेस-2	पाकेट-पी	मिनी मध्यम आय वर्ग	04	105.11	3555000	355500	177750
3.	पल्लवपुरा फेस-2	पाकेट-ओ	उच्च आय वर्ग	01	180.00	6214500	621450	310725
4.	श्रद्धापुरी फेस-प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर-7	अल्प आय वर्ग	12	46.31	1509780	150978	75489
5.	श्रद्धापुरी फेस-द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-ई	अल्प आय वर्ग	14	46.31	1181810	118181	59091
6.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरा-प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	16	85.81	3361750	336175	168088
7.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरा-प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	19	85.81	2931150	293115	146558
8.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरा-प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	20	85.81	2931150	293115	146558
9.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरा-प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर-3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	22	85.81	2931150	293115	146558

10.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव	पाकेट-- डी	मध्यम आय वर्ग (विला/ डुप्लैस भवन)	9	112.50	5636700	563670	281835
11.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव	पाकेट-- ई	मध्यम आय वर्ग (विला/ डुप्लैस भवन)	12	112.50	5626700	562670	281335
12.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- ए.	2वी.एच. के. +स्टडी रूम	8	99.40	2698000	269800	134900
13.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- ए.	2वी.एच. के. +स्टडी रूम	37	99.40	2377000	237700	118850
14.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- ए.	2वी.एच. के. टाईप-ए	23	81.15	2336000	233600	116800
15.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- ए.	2वी.एच. के. टाईप-ए	68	81.15	1990000	199000	99500
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- बी.	2वी.एच. के. + स्टडी	11	99.40	2698000	269800	134900
17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- बी.	2वी.एच. के. + स्टडी	32	99.40	2377000	237700	118850
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- बी.	2वी.एच. के. टाईप-ए	20	81.15	2336000	233600	116800
19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्वलेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- बी.	2वी.एच. के. टाईप-ए	53	81.15	1990000	199000	99500

20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- सी.	2बी.एच. के. टाईप-ए	21	86.10	2384300	238430	119215
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- सी.	2बी.एच. के. टाईप-ए	69	86.10	2186600	218660	109330
22.	शताब्दीनगर, सेक्टर-1 (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट-- सी	दुर्बल आय वर्ग	17	31.33	880000	88000	44000
23.	शताब्दीनगर (भवन)	4वी/ए	उच्च आय वर्ग	03	180.00	3944000	394400	197200
24.	शताब्दीनगर (भवन)	4वी/ए	मध्यम आय वर्ग	09	112.50	2373000	237300	118650
25.	शताब्दीनगर (भवन)	4वी/बी	मध्यम आय वर्ग	01	112.50	2373000	237300	118650
26.	शताब्दीनगर (भवन)	4वी/ए	अल्प आय वर्ग	01	50.00	859000	85900	42950
27.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	दुर्बल आय वर्ग	01	25.61	677200	67720	33860
28.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	दुर्बल आय वर्ग	09	25.61	596700	59670	29835
29.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	दुर्बल आय वर्ग	05	25.61	616800	61680	30840
30.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	अल्प आय वर्ग	19	37.79	926400	92640	46320
31.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	784600	78460	39230
32.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	820000	82000	41000
33.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	63	27.98	810100	81010	40505
34.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	63	27.98	712100	71210	35605
35.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	27.98	736600	73660	36830
36.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1263200	126320	63160
37.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1090600	109060	54530
38.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	अल्प आय वर्ग	56	37.79	1090600	109060	54530
39.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट-- सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	37.79	1090600	109060	54530

40.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	06	54.00	724827	72483	36241
41.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	07	54.00	724900	72490	36245
42.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	01	54.00	789600	78960	39480
43.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	81	54.00	799500	79950	39975
44.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	14	54.00	864200	86420	43210
45.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	01	54.00	886630	88663	44332
46.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	41	54.00	886700	88670	44335
47.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	03	54.00	951400	95140	47570
48.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट-- बी.	3बी.एच. के फ्लैट	8	112.50	3624656	362466	181233
49.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट-- वी.	2वी.एच. के फ्लैट	24	94.00	3056571	305657	152829
50.	गंगानगर (फ्लैट)	पॉकेट-- जे	अल्प आय वर्ग	34	39.75	1270000	127000	63500
51.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट-- जे	दुर्बल आय वर्ग	3	28.00	823100	82310	41155
52.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट-- जे	दुर्बल आय वर्ग	03	28.00	823100	82310	41155
53.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट-- एच	दुर्बल आय वर्ग	6	31.33	865500	86550	43275

1. तालिका में विज्ञापित सम्पत्तियों का प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर विवरण देखा जा सकता है।
2. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
3. उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैट्स की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि (10 प्रतिशत) को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 12 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन, फ्लैट्स की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि (10 प्रतिशत) को घटाकर शेष धनराशि 10.50 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 14 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित

एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि (10 प्रतिशत) को घटाकर शेष धनराशि 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। विलम्ब अवधि के लिये 13 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रुपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्ष:- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम पुत्र है तथा
..... का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् गुड़ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्लूमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान:-

.....
हस्ताक्षर शपथकर्ता।

x-x-x-x-